प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2025
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस / एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा ब्लाइण्ड मर्डर का सफल अनावरण, हत्यारोपी भाई एवं माँ की गिरफ्तारी, निशान देही पर घटना में प्रयुक्त वाहन बरामदगी के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-373/25 धारा 103(1),238 बीएनएस से संबंधित ब्लाइण्ड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी भाई मनीष पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश एवं माँ निर्मला देवी पत्नी स्व0 चन्द्रप्रकाश नि0गण परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को वाल्टरगंज कस्बा थाना मोड़ के पास जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन बलेनो UP 51 BR 8287 बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2025 को थाना तरबगंज पुलिस को ग्राम प्रधान बनगाँव श्री मंजीत सिंह द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सिक्रेटरीपुरवा व कंचनपुर के बीच पीडी बन्धा सड़क के किनारे बाई तरफ एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। शव के शिनाख्त हेतु अथक प्रयास किये गये। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस ब्लाइण्ड मर्डर की घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस सहित 03 पुलिस टीमों का गठन कर थाना प्रभारी तरबगंज को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन में मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गये, एवं मृत्यु का कारण हेमोरेजिक शॉक एण्टीमॉर्टम इंजरी पाया गया, जिसके आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु वृहद स्तर पर सीसीटीवी फुटेज की जाँच तथा मैनुअल एवं तकनीकी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में आज दिनांक 30.11.2025 को पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी भाई मनीष पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश एवं माँ निर्मला देवी पत्नी स्व0 चन्द्र प्रकाश नि0गण परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को वाल्टरगंज कस्बा थाना मोड़ के पास जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन बलेनो UP 51 BR 8287 बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस द्वारा पूछताछ में हत्यारोपी अभियुक्त मनीष द्वारा बताया गया कि वह 02 भाई और 02 बहनें है। दोनो बहनें स्नातक की छात्रा है। बड़ा भाई अशीष कुमार पुणे में पत्थर का काम करता है। और वह स्वयं आवास विकास मोहल्ला स्थित एसपी मेडिकल जनपद बस्ती में काम करता है। आरोपी ने बताया कि दिनांक 16.11.2025 को वह अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर गया था, वापस आने पर रात के करीब 10.00 बजे देखा कि उसकी छोटी बहन किसी अनजान लड़के से बात कर रही थी जिसे देखकर काफी गुस्सा आया तथा माँ के द्वारा भी बताया गया कि कई बार मना करने के बावजूद ये नहीं मानती है। तभी गुस्से में आकर बहन का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया तथा उसे मारापीटा। तत्पश्चात माँ द्वारा लाई गई रस्सी से बहन के हाथ पैर बाँध दिया और ऊपर से बोरा डालकर रस्सी से बांधकर अपनी कार बलेनो UP 51 BR 8287 की डिग्गी में डाल दिया, तथा अपने मामा के लड़के मुस्कान को फोन लगाकर उसके गाँव चले गये। गाँव पहुँचने से पहले सूनसान जगह पर रस्सी से मृतका का गला दबा दिया जिससे वह आवाज न कर सके। उसके बाद मुस्कान को अपनी गाड़ी में बैठकर अकबरपुर टांडा की तरफ जा रहे थे। जहाँ पर पुल का निर्माण

कार्य होने के कारण गाड़ी वापस ले आया और दुबौलिया विशेषरगंज होते हुए थाना नवाबगंज क्षेत्र में पेट्रोल डलवा कर वहाँ से थाना तरबगंज क्षेत्रअन्तर्गत पीडी बन्धा मार्ग पर सूनसान जगह देखकर बहन को डिग्गी से बाहर गिरा दिया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब यह विश्वास हो गया कि वह(बहन) मर गई है, तब हम लोग गाड़ी में बैठकर मनकापुर-बभनान-गौरा होते हुए वापस घर चले गये।

अभियुक्त का नाम पता-

01. मनीष पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश (भाई)
02. निर्मला देवी पत्नी स्व0 चन्द्र प्रकाश (माँ) नि0 गण परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-373/25 धारा 103(1),238 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. एक अदद कार - बलेनो UP 51 BR 8287

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री कमलाकांत त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक तरबगंज मय टीम।
02. श्री गौरव सिंह तोमर प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम
03. अतिरिक्त निरीक्षक राजकुमार यादव थाना तरबगंज
04. उ0नि0 उपेन्द्र यादव
05. हे0कां0 रणधीर सिंह (एस0ओ0जी0)
06. हे0कां0 अरुण यादव (एस0ओ0जी0)
07. हे0कां0 राकेश सिंह (एस0ओ0जी0)
08. हे0कां0 राशिद अली (एस0ओ0जी0)
09. हे0कां0 अमित पाठक (सर्विलांस)
10. हे0कां0 इमरान अली
11. कां0 अंकित राय
12. कां0 प्रमोद वर्मा
13. म0कां0 शशिबाला

नोट- पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली गिरफ्तारकर्ता टीम को रु0 25,000/- के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2025

जनपदीय पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 02 उपनिरीक्षक व 01 मु0आ0 चालक हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाईन स्थित सभागार में क्षेत्राधिकारी लाईन सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा शॉल व फूल-माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं-

गोण्डा। आज दिनांक 30.11.2025 को जनपद गोण्डा पुलिस से 02 उ0नि0 व 01 मु0आ0 चालक अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाईन सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल-माला पहनाकर, छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण-

01. उ0नि0स0पु0 जगपति तिवारी
02. उ0नि0ना0पु0 संतराज
03. मु0आ0 चालक सुरेश चन्द्र

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 30.11.2025
जनपद – गोण्डा

“यातायात माह नवम्बर-2025” के अंतर्गत पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस विभाग के अनुचरों को हेलमेट वितरण कर यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया-

आज दिनांक 30.11.2025 को “यातायात माह नवम्बर–2025” के क्रम में पुलिस लाइन गोण्डा में एक विशेष जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस विभाग में कार्यरत समस्त अनुचरों को उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट वितरित किए गए तथा वाहन संचालन के दौरान सुरक्षा उपायों के पालन हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा अनुचरों को संबोधित करते हुए कहा गया कि-

* वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
* सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटें प्राणघातक हो सकती हैं, जिन्हें हेलमेट पहनकर काफी हद तक रोका जा सकता है।
* यातायात नियमों का पालन कर हम न केवल स्वयं सुरक्षित रहते हैं बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा में भी योगदान देते हैं।
* अनुचरगण पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक रहना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों एवं अनुचरों को निम्न प्रमुख यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया-

1. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है।
2. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करें।
3. चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
4. नाबालिग द्वारा वाहन चलाना प्रतिबन्धित है।
5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ न बैठाएँ।
6. निर्धारित गति सीमा का पालन अवश्य करें।
7. मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य है।
8. नशे की अवस्था में वाहन न चलाएँ।
9. सड़क पर स्टंट करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
10. वाहन को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
11. आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड) को प्राथमिकता से रास्ता दें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल की सहायता करें तथा तत्काल डायल 112 पर सूचना दें।

कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी उ0नि0 जगदम्बा गुप्ता एवं यातायात तथा पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।